NBT
नवभारत टाइम्स
MUMBAI | MONDAY, 9 JUNE 2025

फर्जी FIR और नोटिस भेजकर अपराधी कर रहे हैं साइबर ठगी

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई (साइबर): मुंबई साइबर पुलिस ने नागरिकों को आगाह करते हुए एक अहम अलर्ट जारी किया है। साइबर पुलिस के मुताबिक, साइबर ठग अब फर्जी एफआईआर, नकली लेटरहेड और सरकारी दस्तावेजों के जरिए लोगों को डराकर ठगी कर रहे हैं। साइबर अपराधी खुद को किसी कानूनी संस्था का अधिकारी बताकर वाट्सएप ईमेल या फर्जी वेबसाइट्स के जरिए लोगों से संपर्क कर दावा करते हैं कि पीड़ित के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है या कोई गंभीर कानूनी कार्रवाई होने वाली है।

यहां तक कि अपराधी पीड़ितों को डराते हैं कि अगर उन्होंने कानूनी शुल्क नहीं चुकाया या मांगी गई जानकारी साझा नहीं की, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। जनता को विश्वास में लेने के लिए वे नकली केस नंबर, अधिकारियों के नाम और लेटरहेड का सहारा लेते हैं।

AI Image

खाते से संबंधित जानकारियां न दें

एयू कॉरपोरेट एडवाइजरी ऐंड लीगल सर्विसेज के संस्थापक और साइबर-कानूनी विशेषज्ञ अक्षत खेतान ने बताया कि भारत में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो यह निश्चित रूप से एक ठगी है। स्थानीय साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत शिकायत दर्ज करें। वहीं, मुंबई साइबर पुलिस के डीसीपी पुरुषोत्तम कराड ने भी लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक, ईमेल अटैचमेंट या वाट्सएप मैसेज पर भरोसा न करें।

> खाता संख्या, कार्ड नंबर, पिन, जन्मतिथि आदि जानकारियां किसी को न दें। तुरंत कॉल काट दें और 1930 हेल्पलाइन पर सूचना दें।
>
> *– अक्षत खेतान, साइबर-क़ानून विशेषज्ञ*